

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका

प्रलम्ब के लिये:

18वीं लोकसभा, गठबंधन सरकार, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साधारण बहुमत, स्थगन, अवशिष्ट और नदि प्रस्ताव, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति, अधिकार और विशेषाधिकार

मेन्स के लिये:

भारत में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मुख्य तथ्य, गठबंधन सरकार में अध्यक्ष की भूमिका

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

एक गठबंधन सरकार में लोकसभा अध्यक्ष की न केवल सदन के कुशल संचालन के लिये बल्कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल तथा उसके सहयोगियों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिये भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि 18वीं लोकसभा का आगामी सत्र प्रदर्शित करेगा।

भारत में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

■ परिचय:

- लोकसभा अध्यक्ष सदन का **संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख** होता है।
- संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है।
- लोकसभा के लिये एक **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** तथा राज्यसभा के लिये एक **सभापति एवं उपसभापति** होते हैं।
- संसदीय गतिविधियों, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में **अध्यक्ष को लोकसभा के महासचिव तथा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता** प्रदान की जाती है।
- लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष** कार्यों का निर्वहन करता है।
 - लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में **सभापति पैनल** का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। हालाँकि, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

■ निर्वाचन:

- सदन अपने पीठासीन अधिकारी का **चुनाव** उपस्थित सदस्यों के **साधारण बहुमत** से करता है, जो सदन में मतदान करते हैं।
- आमतौर पर, **सत्तारूढ़ दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना** जाता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है।
 - ऐसे भी उदाहरण हैं जब सत्तारूढ़ दल से बाहर के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये चुना गया।
 - गैर-सत्तारूढ़ दल से संबंधित GMC बालयोगी और मनोहर जोशी** 12वीं और 13वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
 - जब **लोकसभा** भंग हो जाती है तो अध्यक्ष, नया अध्यक्ष के चुने जाने के पूर्व तक **नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।**

■ नषिकासन:

- संवैधान ने नचिले सदन को आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार दिया है।
 - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 94** के अनुसार सदन **प्रभावी बहुमत** (उपस्थित और मतदान करने वाले सदन की **प्रभावी शक्ति** (कुल शक्ति-रिक्तियों) के 50% से अधिक) द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से 14 दिनों के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 7 और 8** के तहत लोकसभा सदस्य होने से अयोग्य घोषित होने पर लोकसभा अध्यक्ष को **हटाया** भी जा सकता है।
- अध्यक्ष अपना **त्याग-पत्र उपाध्यक्ष** को भी दे सकता है।

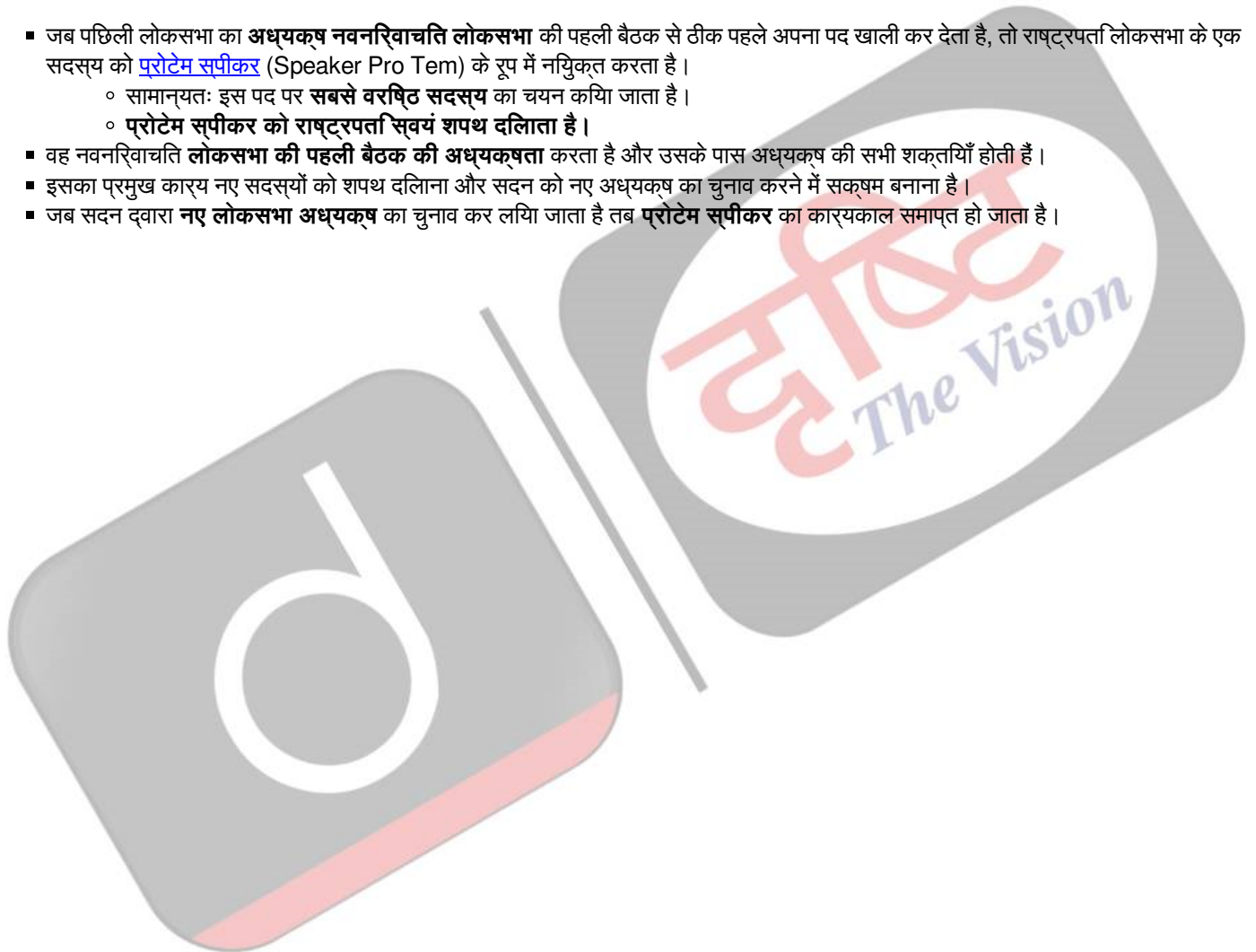
■ शक्ति और कर्तव्यों के स्रोत:

- लोकसभा अध्यक्ष को **अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य** तीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं:

- भारत का संवधान,
 - लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम,
 - संसदीय परंपराएँ (अवशिष्ट शक्तियाँ जो नियमों में अलखित या अनिर्दिष्ट हैं)
- **लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रावधान:**
- उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
 - उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित नधि पर भारित होते हैं इसलिये वे संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
 - उनके कार्य और आचरण पर लोकसभा में किसी ठोस प्रस्ताव के अलावा **चर्चा या आलोचना नहीं** की जा सकती।
 - सदन में प्रक्रिया को वनियमित करने, कार्य संचालन करने या व्यवस्था बनाए रखने की उनकी शक्तियाँ **किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।**
 - वह पहले चरण में मतदान नहीं कर सकता। वह केवल बराबरी की स्थिति में ही **निरणायक मत** का प्रयोग कर सकता है। इससे लोकसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष हो जाता है।
 - वरीयता क्रम में उन्हें **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के साथ **छठे स्थान** पर रखा गया है।

प्रोटेम स्पीकर:

- जब पछिली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिवाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को **प्रोटेम स्पीकर** (Speaker Pro Tem) के रूप में नियुक्त करता है।
 - सामान्यतः इस पद पर **सबसे वरिष्ठ सदस्य** का चयन किया जाता है।
 - **प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है।**
- वह नवनिवाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।
- इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है।
- जब सदन द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब **प्रोटेम स्पीकर** का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।



लोकसभा अध्यक्ष



लोकसभा का संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है

लोकसभा के लिये जैसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु सभापति/उपसभापति होता है

भारत में उत्पत्ति

- ➔ 1921 (भारत सरकार अधिनियम 1919) प्रेसीडेंट तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के रूप में

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) में बदल दिया

निर्वाचन (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों)

- ➔ अनुच्छेद 93, भाग V
 - एक साधारण बहुमत द्वारा
 - पुनः निर्वाचन हेतु पात्र

निर्वाचन हेतु मानदंड

- ➔ लोकसभा का सदस्य होना चाहिये
- ➔ कोई विशेष योग्यता नहीं
- ➔ आम तौर पर, सत्ताधारी दल से संबंधित होता है

कार्यकाल:

- ➔ 5 वर्ष (अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक)

लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष/स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है

शक्तियाँ

- ➔ लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार; उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी हैं
- ➔ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
- ➔ गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग/बैठक को स्थगित कर सकता है
- ➔ गतिरोध को दूर करने के लिये मतदान करने की शक्ति
- ➔ निर्णय करता है:
 - कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं
 - लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता (10वीं अनुसूची के तहत) (यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रदान की गई)

पद से हटाना (शर्तें)

- ➔ यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता/रहती
- ➔ उपाध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र
- ➔ प्रभावी बहुमत से हटाया जाना

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

- **सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना:**
 - लोकसभा अध्यक्ष नचिले सदन के सत्रों की देखरेख करते हैं तथा सदस्यों के बीच अनुशासन और मर्यादा सुनिश्चित करते हैं।
 - लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिये एजेंडा तय करता है और प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करता है। वह स्थगन, अवशिवास और नदि प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों को अनुमति देता है, जिससे व्यवस्थापति संचालन सुनिश्चित होता है।
 - लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर (a) भारत के संविधान, (b) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों तथा (c) संसदीय मसालों के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है।
- **कोरम लागू करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई:**
 - कोरम या गणपूरति के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक उपस्थिति पूरी होने तक बैठक स्थगित कर देता है।
 - लोकसभा अध्यक्ष को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनर्पित व्यवहार को दंडित करने और दलबदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने का भी अधिकार है।
- **समितियों का गठन:**
 - सदन की समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वे अध्यक्ष के समग्र निर्देशन में कार्य करती हैं।
 - सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
 - कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति जैसी समितियाँ सीधे उनकी अध्यक्षता में काम करती हैं।
- **सदन के विशेषाधिकार:**
 - लोकसभा अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
 - किसी विशेषाधिकार के प्रश्न को परीक्षण, जाँच और रिपोर्ट के लिये विशेषाधिकार समिति को भेजना पूर्णतः अध्यक्ष पर निर्भर करता है।
 - वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की 'गुप्त' बैठक की अनुमति दे सकता है। जब सदन गुप्त रूप से बैठता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अजनबी कक्ष, लॉबी या दीर्घाओं में मौजूद नहीं हो सकता।
- **प्रशासनिक प्राधिकारी:**
 - लोकसभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष संसद भवन के भीतर प्रशासनिक मामलों और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। वे संसदीय बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन और परिवर्द्धन को नियंत्रित करते हैं।
- **अंतर-संसदीय संबंध:**
 - लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो अंतर-संसदीय संबंधों को सुगम बनाता है। वह विदेश में प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हैं और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 93/178: लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 94/179: लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना/त्याग-पत्र देना/पद से हटाया जाना।
- अनुच्छेद 95/180: उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 96/181: लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करना।
- अनुच्छेद 97/186: लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से संबंधित न्यायिक प्रावधान

- कहि तो होलोहन बनाम ज़ाचलिहू मामले, 1993 में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि पीठासीन अधिकारी का नरिणय अंतिम नहीं है और किसी भी अदालत में उस पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दुरभावना, दुराग्रह आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केशम मेघचंदर सहि बनाम माननीय अध्यक्ष मणपिर विधानसभा एवं अन्य मामले, 2020 में फैसला दिया कि विधानसभाओं और संसद के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तीन महीने की अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिये।
- 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित है तो वह दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर नरिणय लेने से अक्षम हो जाएगा।
 - दूसरे शब्दों में, इस नरिणय ने पदच्युति नोटिस का सामना कर रहे लोकसभा अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध अयोग्यता याचिकाओं पर नरिणय लेने से रोक दिया।
- इसके अलावा, 22/2/2023 22/2/2023, 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 22/2/2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर नरिणय लेने के लिये समय-सीमा नरिधारित करने का निर्देश दिया।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **पक्षपात का मुद्दा:** लोकसभा अध्यक्ष, जो अक्सर सत्ताधारी पार्टी से संबंधित होते हैं, पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। [[[Kihoto Hollohan versus Zachilhu case]]] में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ने कथित तौर पर अपने दल के पक्ष में कार्य किया है।
 - उदाहरण के लिये, **धन वधियक और राजनीतिक दल-बदल के मामलों** पर नरिणय लेने में राजनीतिक संबद्धता वाले लोकसभा अध्यक्षों की **वविकाधीन शक्तियों** इसका एक उदाहरण है।
 - वर्ष 2017 में मणपुर वधानसभा दल-बदल वरिधी मामले में अदालत ने चार सप्ताह की उचित अवधि दी थी, लेकिन दल-बदल की शकायत वर्षों तक लंबित रही।
- **राष्ट्रीय हित के ऊपर दल हितों को प्राथमिकता देना:** वक्ताओं के पास ऐसी वाद-विवाद या चर्चाओं को प्रतर्बिंधि करने का अधिकार है जो राजनीतिक दलों के एजेंडे को प्रभावित कर सकती हैं, यदवि चर्चाएँ राष्ट्र की भलाई के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **कार्यवाही में व्यवधान और रुकावट में वृद्धि:** यदि लोकसभा अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है तो इससे वपिक्ष में नरिशा और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे अंततः संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **समतियों और जाँच को नज़रअंदाज़ करना:** उचित समतिसमीक्षा के बनिा वधियकों को जलदबाज़ी में पारित करने से अप्रभावी कानून (जसि पर पर्याप्त वचिर-वमिरश नहीं किया गया हो) बन सकता है।
 - उदाहरण: वर्ष 2020 में संसदीय समतिको भेजे बनिा **तीन क्षकानूनों** को पारित करने को वपिक्ष द्वारा व्यापक वरिध और बाद में उन्हें वापस लेने का कारण बताया गया है।

आगे की राह

- **स्थरिता बनाए रखना:** लोकसभा अध्यक्ष की नषिपक्षता और न्यायसंगतता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें वविधि राजनीतिक हितों की जटलि गतशीलता को संतुलित करना होता है।
 - अवशिवास प्रस्ताव की स्वीकृति, वाद-विवाद के लिये समय का आवंटन तथा सदस्यों की मान्यता जैसे मुद्दों पर उनके नरिणय सरकार की स्थरिता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
- **वविदों के समाधान में भूमिका:**
 - गठबंधन सरकार में, जहाँ अलग-अलग वचिरधाराओं और एजेंडों वाली कई दल एक साथ आते हैं, वहाँ संघर्ष तथा वविद अपरहार्य हैं।
 - लोकसभा अध्यक्ष को इन वविदों में मध्यस्थता करने तथा सभी हतिधारकों को स्वीकार्य समाधान ढूँढने में नषिपक्षता बनाए रखनी चाहिये।
- **वधियाी परणामों पर प्रभाव:** वधियाी एजेंडे को नयितरति करके, लोकसभा अध्यक्ष वधियकों के पारित होने और सरकार की समग्र नीति दशा को प्रभावित कर सकता है।
 - भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, "[[[प्रणब मुखर्जी की वविधि वधियकों के पारित होने और सरकार की समग्र नीति दशा को प्रभावित कर सकता है।]]]
- **गैर-पक्षपात सुनिश्चित करना:** पूर्ण गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने राजनीतिक दल से त्याग-पत्र देने की प्रथा को संवधान के **शक्तियों के पृथकरण के सिद्धांत** को कायम रखने के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।
 - वर्ष 1967 में लोकसभा अध्यक्ष बनने पर एन. संजीव रेड्डी द्वारा अपने दल से त्याग-पत्र देना, गैर-पक्षपातपूर्ण आचरण का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
 - ब्रिटन में स्पीकर पूरी तरह से गैर-दलीय सदस्य होता है। वहाँ परंपरा है कस्पीकर को अपनी पार्टी से त्याग-पत्र देना होता है और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है।

नषिकर्ष:

- लोकसभा अध्यक्ष केवल पीठासीन अधिकारी नहीं होते, बल्कि **सदन के कामकाज को आकार देने और** सत्तारूढ़ दल तथा वपिक्ष के बीच संतुलन को प्रभावित करने में **शक्तिरिखते हैं**, खासकर गठबंधन सरकार के मामले में। अध्यक्ष के नरिणयों और कार्यों का सरकार के **कामकाज तथा** स्थरिता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष की शक्तियों और ज़मिमेदारियों पर प्रकाश डालते हुए संसदीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[प्रश्न]]]:

प्रश्न. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये:

1. लोकसभा के कार्य-पद्धति और कार्य-संचालन नयिमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का नरिवाचन उस तारीख को होगा जो लोकसभा अध्यक्ष नयित करे।

2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य वपिक्षी दल से, या शासक दल से, होगा।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके वनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती।
4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा वधिवित समर्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को नश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)

प्रश्न. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रामाणिक करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/role-of-the-speaker>

